

समाहरणालय, मुंगेर।
कार्यालय जिला विकास शाखा, मुंगेर।
आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी, के विधायक मद की राशि से अनुशंसित एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 318 दिनांक 20.12.10, के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 50% (पचास प्रतिशत) राशि कार्यान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर के पत्रांक 1366 दिनांक 25.09.13 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में मापीपुरस्त में अंकित मापी तथा व्यय की गई राशि के आधार पर विमुक्ति हेतु अवशेष बची राशि मो0 49468(उनचास हजार चार सौ अड़सठ)रूपये की निम्न तालिका में उल्लेखित योजनाओं में विमुक्त करने की स्वीकृति कार्यान्वयन एजेन्सी से प्राप्त मापीपुरस्त,कार्य स्थल का रंगीन फोटो,सूचना पट के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि पत्र में वर्णित याजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी जिम्मवार होंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि योजना का स्वयं अपने स्तर से जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ-3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मापीपुरस्त के आधार पर व्यय राशि	जिला से अब तक कुल विमुक्त राशि	मापीपुरस्त के अनुसार व्यय की गई राशि का अधियाचना के अनुरूप अवशेष राशि की विमुक्ति
1	2	3	4	5.	6.	7.
1	औरंगा ग्राम में विभिन्न गली पथ में पी0सी0सी0 कार्य।	प्र0 वि0 पदा0 तारापुर	100000	99468	50000	49468
		कुल	100000	99468	50000	49468

द्रष्टव्य :-

1. कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :- 100000(एक लाख)रूपये मात्र।
2. पूर्व में विमुक्त राशि :- 50000(पचास हजार)रूपये मात्र
3. विमुक्ति की राशि :- 49468(उनचास हजार चार सौ अड़सठ)रूपये मात्र।

।

ह0/-

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक:- 425 जि0वि0, मुंगेर / दिनांक :- 16-11-13
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर, /जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,तारापुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ अपने नाजिर को चेक प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

14.11.13

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।